* **दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली**

\+ **फौ.पु.या. 45/2020 और फौ.वि.अ. 943/2020, 945/2020 और 18124/2021**

विनिश्चय की तिथि:16.11.2021

के मामले में:

श्री कुमार सिद्धार्थ ..... याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री जतिन राणा, अधिवक्ता

बनाम

श्रीमती ओल्गा मौर्या ..... प्रत्यर्थी

द्वारा: सुश्री आरती महाजन एवं सुश्री मालवी बाल्यान, अधिवक्तागण

कोरमः

माननीय न्यायधीश श्री मनोज कुमार ओहरी

<u>मनोज कुमार ओहरी, न्या. (मौखिक)</u>

1. वर्तमान याचिका याचिकाकर्ता की ओर से दं.प्र.स. की धारा 397 सह-पठित धारा 401 के तहत दायर की गई है, जिसमें दिनांक 04.10.2019 को परिवार न्यायालय (पश्चिम), दिल्ली द्वारा एमटी केस सं. 91/2018 शिर्षक <u>ऑलगा मौर्या बनाम कुमार सिद्धार्थ</u> में पारित आदेश को चुनौती दी जा रही है जिसके तहत याचिकाकर्ता को प्रत्यर्थी को प्रति माह अंतरिम भरणपोषण के रूप में रु. 20,000/- का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था।

2. याचिकाकर्ता के फाज़िल अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि आक्षेपित आदेश याचिकाकर्ता के जनवरी, 2019 के वेतन पर्ची पर आधारित था, जिसके अनुसार याचिकाकर्ता का वास्तविक वेतन रु. 44,499/- प्रति माह पाया गया था। प्रत्यर्थी को दो इकाइयां को और याचिकाकर्ता को दो इकाइयाँ देने के बाद, विचारण न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि

प्रत्यर्थी भरणपोषण के रूप में प्रति माह रु.18,000/- की हकदार थी। तथापि, पूर्वोक्त निष्कर्ष पर पहुंचने के बावजूद, बिना कोई कारण बताए रु. 20,000/- प्रत्यर्थी को भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। याचिकाकर्ता के फाज़िल अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि याचिकाकर्ता ने मार्च, 2019 के महीने में निरीक्षक, आबकारी के पद से इस्तीफा दे दिया और उसे मार्च, 2019 और उसके बाद से कोई वेतन नहीं मिला है। इस प्रकार, वह निवेदन करते हैं कि परिवार न्यायालय ने मामले के इस पहलू पर विचार नहीं किया है।

3. दूसरी ओर प्रत्यर्थी के फाज़िल अधिवक्ता ने आक्षेपित आदेश का समर्थन किया है।उन्हों ने आरोप ज्ञापन, दिनांक 27.09.2019 के साथ संलग्न कदाचार और दुर्व्यवहार के आरोपों के बयान की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया है, जिसके पैरा 4. 3 में यह उल्लिखित किया गया है कि विभाग ने दिनांक 05.03.2019 और 06.03.2019 के (ई-मेल

के माध्यम से) अपने पत्रों द्वारा याचिकाकर्ता को तीन दिनों के भीतर कार्य पर फिर से आने का निर्देश दिया था।यह निवेदन किया जाता है कि याचिकाकर्ता का इस्तीफा कभी स्वीकार नहीं किया गया था और वास्तव में, उसे बाद में 21.10.2020 के आदेश द्वारा अपनी सेवा से हटा दिया गया था।यह भी निवेदन किया जाता है कि याचिकाकर्ता ने जानबूझकर प्रत्यर्थी को अंतरिम भरणपोषण के भुगतान से बचने के लिए मार्च, 2019 के महीने से अपने वेतन का मोताल्बा नहीं किया है।

4. याचिकाकर्ता के फाज़िल अधिवक्ता, निर्देशों पर, यह निवेदन करते हैं कि याचिकाकर्ता फाज़िल परिवार न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों का पालन करने और प्रत्यर्थी को अर्ज़ी की तारीख़ से जब तक वह विभाग से अपना वेतन आहरित कर रहा था तब तक अंतरिम भरणपोषण के रूप में प्रति माह रु.18,000/- का भुगतान करने के ख़िलाफ नहीं है।

5. मामले के तथ्यों को देखने से पता चलता है कि पक्षकारों के बीच शादी 05.10.2017 को हुई थी।याचिकाकर्ता केंद्रीय कर, बेंगलुरु ऑडिट-1 आयुक्तालय, बेंगलुरु में निरीक्षक के रूप में काम कर रहा था।आक्षेपित आदेश को पारित करते समय, विचारण न्यायालय ने जनवरी, 2019 के महीने की वेतन पर्ची को ध्यान में रखा और वैधानिक कटौती को देखने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि याचिकाकर्ता का वास्तविक वेतन रु. 44,499/- प्रति माह था और प्रत्यर्थी को भरणपोषण के रूप में और एक अलग घर चलाने के लिए दो इकाइयां दिया और इस प्रकार, उसे प्रति माह रु. 18,000/- प्रदान किया गया।

6. आक्षेपित आदेश का एक सादा पठन यह दर्शाता है कि यद्यपि प्रत्यर्थी के हिस्से की गणना करते समय, उसका हक रु.18,000/- प्रति माह तय किया गया था, लेकिन याचिकाकर्ता को प्रति माह रु.20,000/- का भुगतान करने का निर्देश देते हुए, परिवार न्यायालय ने कोई

विशिष्ट कारण नहीं बताया।प्रत्यर्थी को अतिरिक्त 2,000/- रुपये प्रदान करने का कोई आधार नहीं था।

7. याचिकाकर्ता के फाज़िल अधिवक्ता, निर्देश पर, निवेदन करते हैं कि याचिकाकर्ता अर्ज़ी दाखिल करने की तारीख से फरवरी, 2019 तक रु.18,000/- का भुगतान करने के लिए तैयार है।वह, निर्देश पर, आगे निवेदन करते हैं कि अगस्त, 2018 से फरवरी, 2019 तक की पूरी राशि का भुगतान आज से चार सप्ताह की अवधि के भीतर किया जाएगा।याचिकाकर्ता की ओर से दिए गए उक्त वचन को अभिलेख पर लिया जाता है और उसे उससे बाध्य किया जाता है।

8. भरणपोषण की अर्ज़ी अगस्त, 2018 में दायर की गई थी। उपरोक्त दर्ज किए गए निवेदनों के मद्देनजर और दोनों में से किसी पक्ष के अधिकारों और प्रतिविरोधों को किसी प्रकार प्रभावित किए बिना, यह

निर्देशित किया जाता है कि याचिकाकर्ता अगस्त, 2018 से फरवरी, 2019 तक रु.18,000/- का भुगतान करेगा।

9. पक्षकारों के फाज़िल अधिवक्तागण निवेदन करते हैं कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है यदि मार्च, 2019 से अंतरिम भरणपोषण के पहलू को विनिश्चित करने के लिए मामले को वापस भेज दिया जाता है।

10. तदनुसार, इस संबंध में आवश्यक साक्ष्य लेने के बाद मार्च, 2019 से अंतरिम भरणपोषण के पहलू को नए सिरे से विनिश्चित करने के लिए परिवार न्यायालय में मामले को वापस भेजना यह न्यायालय उचित समझता है। याचिकाकर्ता यह आग्रह करने के लिए कि उसने मार्च, 2019 से अपना वेतन नहीं लिया है और प्रत्यर्थी अन्यथा आग्रह करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

11. याचिकाकर्ता द्वारा चार सप्ताह की अवधि के भीतर अगस्त, 2018 से फरवरी, 2019 तक प्रति माह रु. 18,000/- की दर से शेष राशि के

भुगतान करने के अध्यधीन, निष्पादन याचिका संख्या 3242/2019 में परिवार न्यायालय, तीस हज़ारी न्यायालय, पश्चिम जिला, दिल्ली द्वारा दिनांक 22.10.2021 को पारित किए गए आदेश पर रोक लगा रहेगा।

12. इन निर्देशों के साथ, याचिका को लंबित अर्ज़िओं सहित निपटाया जाता है।

13. इस आदेश की एक प्रति संबंधित परिवार न्यायालय को इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेजी जाए।

(मनोज कुमार ओहरी)
न्यायाधीश

नवंबर 16, 2021
p'ma

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्मेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*